न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 35/2018

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
रतनलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत गूंगा जरिये सरपंच 2. हरजीराम पुत्र नारणाराम जाति कुम्हार निवासी हड़वेचा तहसील शिव जिला बाड़मेर 3. द्वारकादास पुत्र राणामल जाति सोनी निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 17 दिनांक 21.07.1998 जो ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1व2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गूंगा की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 21.07.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 हरजीराम पुत्र नारणाराम जाति कुम्हार निवासी हड़वेचा तहसील शिव जिला बाड़मेर के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अधीन ग्राम गूंगा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 17 दिनांक 21.07.1998 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2652 वर्गफीट गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:30:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गूंगा का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा अपने पत्राचार दिनांक 22.05.2024 द्वारा लिखित में प्रकट किया गया कि ग्राम पंचायत गूंगा के रेकर्ड मे इन पट्टों की मिसल व ग्राम सभा रजिस्टर नहीं पाया गया हैं। उक्त रेकर्ड 2006 से पूर्व बाढ़ मे पूरा रेकर्ड नष्ट व बह गया होना बताया है।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का गांव गूंगा मे पुस्तेनी कब्जासुदा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त कब्जासुदा भूमि पर प्रार्थी के नाम से पट्टा बना हुआ है। प्रार्थी के गांव का एक व्यक्ति द्वारकादास सोनी जो भूमाफिया है और गांव की खुली जमीन को देखकर उस पर कब्जा करने की फिराक मे रहता है। द्वारकादास ने प्रार्थी के पुस्तेनी कब्जासुदा भूखण्ड के पूर्व मे 9 फीट की गली जो बालिका स्कूल की ओर जाती है उस पर कब्जा करने की नियत से सिविल न्यायाधीश बाड़मेर के न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया। जो वर्तमान में अति. सिविल न्यायाधीश बाड़मेर के न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमें विप्रार्थी संख्या 3 द्वारकादास ने उक्त पट्टा विप्रार्थी संख्या 2 हरजीराम से उक्त भूमि क्रय करने का दर्शा कर एवं हरजीराम के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी होने का वाद पत्र पेश किया। उक्त पट्टे मे मिसल व [illegible] दायर खाली है जबकि पट्टा जारी करने की दिनांक 21.07.[illegible]8 को राजस्थान पंचायत एवं न्याय उपसमिति सामान्य नियम 1961 का कानूनी अस्तित्व मे ही नहीं था तथा उक्त दिनांक को पट्टा जारी करने के लिए राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:50:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कानून प्रक्रिया में था। जिससे प्रथमदृष्ट्या यह प्रमाणित है विधिविरूद्ध तथाकथित पट्टा संख्या 17 कभी भी ग्राम पंचायत गूंगा के द्वारा जारी नही किया गया। ऐसी स्थिति में पट्टा संख्या 17 निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद जांच विवादित पट्टा सं. 17 दिनांक 21.07.1998 को प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित करते हुए निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 हरजीराम पुत्र नारणाराम जाति कुम्हार निवासी हड़वेचा तहसील शिव जिला बाड़मेर के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अधीन ग्राम गूंगा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 17 दिनांक 21.07.1998 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2652 वर्गफीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह प्रकट किया हैं कि विवादित भूखण्ड पर उसका पुस्तेनी कब्जा हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को गलत रूप से भूमि का नियमितीकरण किया गया हैं। ऐसे में यदि आलौच्य पट्टे में उल्लेखित भूखण्ड प्रार्थी अपने स्वामित्व का होना मानता हैं तो उसके लिये अपने स्वामित्व अधिकारों की [illegible] हेतु [illegible] न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता हैं। ग्राम [illegible] द्वारा जारी उक्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध [illegible] होने से उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता हैं तथा इसके अभाव में इ[illegible] जारी करने में किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:50:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवैधता अथवा अनियमितता की जांच संभव नही हैं साथ ही यदि पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसके इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा आलौच्य पट्टे एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता हुई है अथवा नहीं, कोई निर्णय दिया जाना संभव नही होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

8. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:30:50 IST
Reason: SelfAttested